भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3325
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता

†3325. डॉ. अमर सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने थैलेसीमिया, जो एक गंभीर वंशानुगत रक्त विकार है और शरीर की सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है, के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु कोई पहल की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): थैलेसीमिया लाल रक्त कोशिकाओं के वंशानुगत विकारों में से एक है, जो हीमोग्लोबिनोपैथी की श्रेणी में आता है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ थैलेसीमिया के प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। हालाँकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, ब्लड बैंक सुविधाओं का प्रावधान, डे-केयर सेंटर, दवाइयाँ, लैब सेवाएँ, आईईसी गतिविधियाँ और मानव संसाधन प्रशिक्षण आदि शामिल है।

यह मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के सहयोग से, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टीबीएसवाई) नामक एक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत सीआईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि से पात्र रोगियों को अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बीएमटी) के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में फैले सत्रह सूचीबद्ध अस्पतालों में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बीएमटी) की सुविधा प्रदान की जाती है।

इसकी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और स्क्रीनिंग संबंधी थैलेसीमिया के आंकड़े नियमित रूप से राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज किए जाते हैं।

*****